न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र/18/2019 तारीख रजु 17.07.2019

उनवान

1 रवि पुत्र शिवदयाल आयु 23 वर्ष जाति जाट, निवासी बाजना कलाँ, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)
2 कुमर सिंह पुत्र शिवदयाल आयु 19 वर्ष जाति जाट, निवासी बाजना कलाँ, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)

——प्रार्थीगण(02)

बनाम

तहसीलदार साहब हिण्डौन तहसील हिण्डौन, जिला करौली (राज0)

——अप्रार्थी(01)

उपस्थिति:—

प्रार्थी की ओर से :— श्री शांति लाल करसौलिया एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से :— तहसीलदार हिण्डौन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक—26.02.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन ने एक प्रार्थना पत्र राजस्व ग्राम बाजना कलां तहसील हिण्डोन की आराजी खाता संख्या 343 खसरा नं0 588, 589, 590 कुल किता—4 कुल रकबा 0.69 एवं खाता संख्या 151 के खसरा नं0 879, 880 कुल रकबा 0.13 हैक्ट0 एवं खाता संख्या 152 के खसरा नं0 565, 566, 580, 581, 582, 582/1677, 583, 585, 957, 958 कुल रकबा 2.66 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 153 के खसरा नं0 1010, 1011, 1012, 884, 962 कुल रकबा 0.50 हैक्ट0 तथा खाता सं0 154 के खसरा नं0 1013, 1025, 575, 576, 577, 579, 963 कुल रकबा 1.50 हैक्ट0 वाके ग्राम बाजना कलां, तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थ के पिता स्व0 शिवदयाल की मृत्यू काफी समय पूर्व हो चुकी थी, उस समय प्रार्थीगण नाबालिग छोटे—छोटे थे, इसलिए हल्का पटवारी ने कुमर सिंह के नाम के स्थान पर कॅवरपाल सहवन से रेवन्यू रिकॉर्ड में जमाबन्दी में नामन्तकरण तस्दीक कर दिया गा, जबकि प्रार्थी संख्या 2 के समस्त पहचान पत्र, आधार कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजों में कुमर सिंह ही लिखा गया है। अब प्रार्थी संख्या 2 के नाम की भूल को संशोधित करके पहचानपत्र, आधारकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर कुमर सिंह दुरूस्त किया जावे, जिससे प्रार्थी सं0 2 के रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में सही नाम कुमर सिंह दुरूस्त हो सके।

प्रार्थी संख्या 1 की जन्मतिथी 25.11.1996 एवं प्रार्थी संख्या 2 की जन्मतिथी 18 अप्रेल 2000 है। प्रार्थीगण शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर पूर्णरूपेण बालिग हो चुके हैं, इसलिए उपरोक्त आराजीयत की रेवन्यू रिकार्ड/जमाबंदी में नाबालिग जरिये संरक्षिका माता के स्थान पर बालिग के रूप में प्रार्थीगण रवि जाट पुत्र शिवदयाल, कुमर सिंह पुत्र शिवदयाल दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

प्रार्थी के नाम का भूलवश हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा कँवरपाल अंकित हो गया था, जिसके स्थान पर कुमर सिंह दुरूस्त करने बाबत् तहसीलदार हिण्डौन को एक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया था, जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डौन ने रेवन्यू रिकार्ड में भूलवश गलत अंकन होने को सही कराने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त कार्यवाही का प्रार्थना पत्र श्रीमान उपजिला कलेक्टर हिण्डौन में पेश होने पर ही भूलवश हुई त्रुटि सही किया जा सकेगा, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी सं0 2 के नाम में कँवरपाल के स्थान पर कुमरसिंह संशोधन कर रेवन्यू रिकॉर्ड/जमाबंदी में संशोधित किया जावे तथा प्रार्थीगण को नाबालिग जरिये संरक्षिका गीता देवी के स्थान पर रवि जाट पुत्र शिवदयाल, कुमर सिंह पुत्र शिवदयाल बालिग दुरूस्त कर श्रीमान तहसीलदार जी को इन्द्राज करने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार हिण्डौन द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी रवि, कुमर सिंह व गीता देवी के शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गए। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकर किया जाकर तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत उच्च माध्यमिक पूरक परीक्षा 2016 की प्रार्थी रवि जाट की अंकतालिका तथा उच्च परीक्षा परीक्षा 2017 की कुमर सिंह की अंकतालिका तथा दोनों के आधार कार्ड के साथ-साथ राशन कार्ड में अंकित नामों पटवारी हल्का बाजना कलॉ व गिरदावर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजानुसार कँवरपाल पुत्र शिवदयाल का सही नाम कुमर सिंह पुत्र शिवदयाल तथा रवि व कुमर सिंह के बालिग होने के तथ्य प्रमाणित होते हैं। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में कँवरपाल पुत्र शिवदयाल के स्थान पर कुमर सिंह पुत्र शिवदयाल अंकित किये जाने की आदेश दिये जाते हैं, साथ ही रवि पुत्र शिवदयाल एवं कुमर सिंह पुत्र शिवदयाल के बालिग होने संबंधी पटवारी हल्का बाजना कलॉ तहसील हिण्डौन की रिपोर्ट के अनुसार इनके बालिग होने के कारण इनके नाम के आगे अंकित नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता गीता को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्राबली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26.02.2020

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.27 11:27:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: